भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2881

जिसका उत्तर दिनांक 19.03.2020 को दिया जाना है

आयातित यूरेनियम ईंधन पर निर्भरता

2881. डॉ. अमर पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैन्य रिएक्टरों में उपयोग के लिए आयातित यूरेनियम ईंधन पर वर्तमान निर्भरता कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यूरेनियम ईंधन का वर्तमान घरेलू उत्पादन कितना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वाणिज्यिक थोरियम आधारित रिएक्टरों को शुरू करने के लिए लक्षित समय-सीमा क्या है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) वर्तमान में प्रचालनरत बाईस रिएक्टरों (6780 MW) में से चौदह रिएक्टरों (4380 MW) में आयातित यूरेनियम ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) को यूरेनियम खनन एवं प्रोसेसिंग का अधिदेश सौंपा गया है । तथापि, यूसीआईएल द्वारा यूरेनियम उत्पादन की मात्रा बताना जनहित में नहीं है ।

(ग) तथा (घ) देश का त्रि-चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम संसाधनों के उपयोग पर जोर देता है । तथापि, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के द्रुत प्रजनक रिएक्टरों (एफबीआर) के लगने के कुछ दशकों के बाद थोरियम आधारित वाणिज्यिक रिएक्टरों को बड़े स्तर पर लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा । थोरियम विखंड्य तत्व नहीं है और इसलिए इसका वाणिज्यिक उपयोग तभी किया जा सकता है जब प्लूटोनियम या यूरेनियम-233 जिसकी परिकल्पना एफबीआर के परिनियोजन के माध्यम से की गई है, जैसे विखंड्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ।

*****